न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 154 / 2025

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मालीराम, जाति कुमावत, पेशा कृषि व मजदूरी, निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल निवासी ए 146, आलोक टेनामेन्ट बीटीसी अहमदाबाद, सिटी पोस्ट आफिस, कुबेर नगर, उप जिला अहमदाबाद, सीटी जिला अहमदाबाद।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज0भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी दिनांक 14.02.2019 बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश अ0धा0 90ए (अ) सपठित धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 6 / 2018

——

उपस्थितः—

1. श्री संदीप काजला, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.08.2025

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार, उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14.02.2019के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है।न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने जमीन ख0न0 843 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम पचलंगी मे से 161 गुणा 63 वर्ग फुट भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 1 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया। इस निर्णय दिनांक 14.12.2019 को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्ट की ओर ये यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 14.02.2019 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है।दिनांक 06.06.2018को अधीनस्थ न्यायालय नें प्रकरण दर्ज किया व पेशी अपीलान्ट की तलबी हेतु दिनांक 15.06.2018 दी गई। आदेशिका दिनांक 15.06.2018 मे अपीलान्ट के लिए यह दर्ज किया हुआ है कि अपीलान्ट गुजरात रहता है। अपीलान्ट का पता लेने के लिए पेशी दी गई। सही पता पेश करने के लिए व तलबी के लिए पेशियां दी जाती रही लेकिन अपीलान्ट का सही पता दर्ज नही हुआ व दिनांक 20.11.2018 को तथाकथित चस्पादंगी के आधार पर एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित कर दिनांक 14.02.2019 को एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय कर पत्रावली मे शामिल नोटिस मे दिनांकित 11.11.201 मे अपीलान्ट के लिए घर पर न होना दर्ज किया हुआ है। घर पर कोई व्यस्क सदस्य की उपस्थिति नही बताई। चस्पादंगी के लिए कोई गवाह का नाम व पता भी दर्ज नही किया है। तामिली रिपोर्ट भी शपथपूर्वक नही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्तिगत तामिल नही हुई। इसके बावजूद भी बिना विधिवत् तामिल के अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर एकतरफा निर्णय पारित करने मे भूल की है। राज0 भू—राजस्व अधिनयम 1956 की धारा 59 मे सम्मन की तामिल का प्रावधान दिया हुआ है और धारा 60 मे नोटिस की तामिल का प्रावधान दिया हुआ है। इनके अनुसार जिस पर तामिल की जानी है व घर पर मौजूद न हो व व्यस्क सदस्य न हो तो डाक से तामिल करवाया जाने का प्रावधान है। यह रिकार्ड पर आया हुआ है कि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलान्ट गुजरात प्राप्त मे रहता है। पटवारी हल्का द्वारा पता नही दिसे जाने पर नियमानुसार डाक से तामिल नही करवाई गई। इस प्रकार बिना तामिल के विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है।अपीलान्ट को जबाबदेही का अवसर दिये बिना ही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की। रिपोर्ट मे यह कहीं भी अंकित नही है कि चारदीवारी व टीनशेड, रिहायश हो यह भी अंकित नही है कि चारदीवारी व टीनशेड रिहायश के उपयोग मे लिया गया हो। जमीन ख0न0 843 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम पचलंगी कृषि भूमि होना व मन्दिर गोपीनाथजी की खातेदारी मे दर्ज होने का अंकन किया है। कृषि भूमि का अंकन विवादित नही है लेकिन खातेदारी इन्द्राजात अवैध व शून्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी खत्म करने व अन्य को खातेदारी प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी के इन्दाज की पुनरावृति न कर क्षेत्राधिकार के बाहर उक्त मंदिर के खातेदारी का अंकन गलत किया। उक्त चारदीवारी व टीशेड कृषि प्रयोजनार्थ ही है। उक्त टीनशेड पशुपालन, चारा आदि के उपयोग के लिए किये हुए है जो अकृषि की तारीफ मे नही आते। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मे तथाकथित टीनशेड हटाने के लिए समय प्रदान नही किया व निर्णय पारित करने के लिए वैध आधार भी दर्ज नही किया। विवादित स्थल अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही कृषि प्रयोजनार्थ रहा है। इसी कारण विधि सम्मत तरीक से उक्त मंदिर व राजस्थान सरकार ने बेदखल किये जाने के लिए कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे नही की व संक्षिप्त कार्यवाही मे बिना विवेचन के अवैध निर्णय पारित कर दिया। यह भी अंकन नही किया गया कि कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ क्या सामग्री हो और कैसे काम मे लिया गया। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट ओमप्रकाश के खिलाफ प्रकरण संख्या 6/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 14.02.2019 बाबत ख0न0 843 वाके ग्राम पचलंगी को अपास्त किया जाकर अथवा अपील सुनकर निर्णत करने के लिए रिमाण्ड की जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 06.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय नें प्रकरण दर्ज किया व पेशी अपीलान्ट की तलबी हेतु दिनांक 15.06.2018 दी गई। आदेशिका दिनांक 15.06.2018 मे अपीलान्ट के लिए यह दर्ज किया हुआ है कि अपीलान्ट गुजरात रहता है। अपीलान्ट का पता लेने के लिए पेशी दी गई। सही पता पेश करने के लिए व तलबी के लिए पेशियां दी जाती रही लेकिन अपीलान्ट का सही पता दर्ज नही हुआ व दिनांक 20.11.2018 को तथाकथित चस्पादंगी के आधार पर एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित कर दिनांक 14.02.2019 को एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय कर पत्रावली मे शामिल नोटिस मे दिनांकित 11.11.201 मे अपीलान्ट के लिए घर पर न होना दर्ज किया हुआ है। घर पर कोई व्यस्क सदस्य की उपस्थिति नही बताई। चस्पादंगी के लिए कोई गवाह का नाम व पता भी दर्ज नही किया है। तामिली रिपोर्ट भी शपथपूर्वक नही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्तिगत तामिल नही हुई। इसके बावजूद भी बिना विधिवत् तामिल के अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर एकतरफा निर्णय पारित करने मे भूल की है। राज0 भू–राजस्व अधिनयम 1956 की धारा 59 मे सम्मन की तामिल का प्रावधान दिया हुआ है और धारा 60 मे नोटिस की तामिल का प्रावधान दिया हुआ है। इनके अनुसार जिस पर तामिल की जानी है व घर पर मौजूद न हो व व्यस्क सदस्य न हो तो डाक से तामिल करवाया जाने का प्रावधान है। यह रिकार्ड पर आया हुआ है कि अपीलान्ट गुजरात प्राप्त मे रहता है। पटवारी हल्का द्वारा पता नही दिसे जाने पर नियमानुसार डाक से तामिल नही करवाई गई। इस प्रकार बिना तामिल के विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को जबाबदेही का अवसर दिये बिना ही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की। रिपोर्ट मे यह कहीं भी अंकित नही है कि चारदीवारी व टीनशेड, रिहायश हो यह भी अंकित नही है कि चारदीवारी व टीनशेड रिहायश के उपयोग मे लिया गया हो। जमीन ख0न0 843 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम पचलंगी कृषि भूमि होना व मन्दिर गोपीनाथजी की खातेदारी मे दर्ज होने का अंकन किया है। कृषि भूमि का अंकन विवादित नही है लेकिन खातेदारी इन्द्राजात अवैध व शून्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी खत्म करने व अन्य को

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खातेदारी प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी के इन्दाज की पुनरावृति न कर क्षेत्राधिकार के बाहर उक्त मंदिर के खातेदारी का अंकन गलत किया। उक्त चारदीवारी व टीशेड कृषि प्रयोजनार्थ ही है। उक्त टीनशेड पशुपालन, चारा आदि के उपयोग के लिए किये हुए है जो अकृषि की तारीफ मे नही आते। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मे तथाकथित टीनशेड हटाने के लिए समय प्रदान नही किया व निर्णय पारित करने के लिए वैध आधार भी दर्ज नही किया। विवादित स्थल अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही कृषि प्रयोजनार्थ रहा है। इसी कारण विधि सम्मत तरीक से उक्त मंदिर व राजस्थान सरकार ने बेदखल किये जाने के लिए कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे नही की व संक्षिप्त कार्यवाही मे बिना विवेचन के अवैध निर्णय पारित कर दिया। यह भी अंकन नही किया गया कि कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ क्या सामग्री हो और कैसे काम मे लिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट ओमप्रकाश के खिलाफ प्रकरण संख्या 6/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 14.02.2019 बाबत ख0न0 843 वाके ग्राम पचलंगी को अपास्त

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा माफी मंन्दिर की खातेदारी की भूमि पर पक्का निर्माण दीवार एवं कॉलम भरकर एवं छड़ी बाड़ व पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट ने माफी मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे अदालत मातहत राजकीय भूमि की भांति संरक्षण करने का अधिकार रखती है। विवादित भूमि की खातेदारी माफी मंदिर के नाम है जो राजकीय भूमि के समान होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम पंचलगी स्थित भूमि ख0न0 843 कुल रकबा 1.13 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बारानी 1 व 2 में से 161X63 वर्गफुट भूमि पर भूमि की खातेदारी मंदिर श्री गोपीनाथ जी नाम दर्ज रिकार्ड होने पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत ने प्रकरण दर्ज सर्वप्रथम अपीलान्ट को तामिल हेतु जिस पते का नोटिस जारी किया उसमें तामिल कुनिन्दा द्वारा साफ अंकित किया गया था अपीलान्ट गुजरात रहता है। बाद में अदालत मातहत ने उसी पते पर चस्पादगीं से अपीलान्ट की तामील सही मान लिया। अपीलान्ट गुजरात का मूल निवासी है जिस संबंध में अपीलान्ट ने आधारकार्ड की प्रति अपील में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट अदालत मातहत के यहां सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने से वंचित रह गया। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त यानी पक्षकार को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर करना न्यायोचित है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 14.02.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं